न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 853 सन 2020

अनवान :–

1. प्रेमदान पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. गगनदीप उर्फ अमनदीप पुत्र नोदान मान जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुमन पत्नी नोदान जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 239/231 की कुल 3.5410हैक में से मृतक धापा के नाम 1/3 हिस्सा वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्याा 1 के नाम 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 8/5 की कुल 4.0340हैक में मृतक धापा 1/12 हिस्सा वादी का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा एवं खाता संख्या 280/266 की कुल 5.4130है में से धापा के नाम 1/16 हिससा वादी का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या1 का 1/32 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्साा व रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 141/125 की कुल 7.4510हैक में से वादी का 4665/59608 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 4661/59608हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 2797/59608 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 2797/59608हिस्सा दर्ज है।

वादी की माता धापा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व नोदान हुए जिनमें से नोदान का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है नोदान की पत्नी ने अन्यत्र करेवा कर लिया इसिलये मृतक धापा के हक हिस्सा की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 जो नोदान की पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की माता है ने अन्यत्र शादि करने के कारण अपने हक हिस्सा की भूमि अपने पुत्र के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक धापा व प्रतिवादी संख्याा 2 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी की माता धापा के नाम से दर्ज है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक पुत्र नोदान के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जिनके नाम से भूमि दर्ज है प्रतिवादी संख्या 3 ने निवेदन किया की उसके पति नोदान के देहान्त होने पर अन्यत्र शादी कर ली इसलिये उसने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने पुत्र के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि जो मृतक धापा एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अपने हक हिस्सा के अनुसार अधिकारी है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 239/231 की कुल 3.5410हैक में से मृतक धापा के नाम 1/3 हिस्सा वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्याा 1 के नाम 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 8/5 की कुल 4.0340हैक में मृतक धापा 1/12 हिस्सा वादी का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा एवं खाता संख्या 280/266 की कुल 5. 4130है में से धापा के नाम 1/16 हिससा वादी का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या1 का 1/32 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्साा व रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 141/125 की कुल 7.4510हैक में से वादी का 4665/59608 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 4661/59608हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 2797/59608 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 2797/59608हिस्सा दर्ज है।

वादी की माता धापा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व नोदान हुए जिनमें से नोदान का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है नोदान की पत्नी ने अन्यत्र करेवा कर लिया इसिलये मृतक धापा के हक हिस्सा की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 जो नोदान की पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की माता है ने अन्यत्र शादि करने के कारण अपने हक हिस्सा की भूमि अपने पुत्र के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 239/231 की कुल 3.5410हैक में से मृतक धापा के नाम 1/3 हिस्सा वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्याा 1 के नाम 1/3 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व खाता संख्या 8/5 की कुल 4.0340हैक में मृतक धापा 1/12 हिस्सा वादी का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा एवं खाता संख्या 280/266 की कुल 5.4130है में से धापा के नाम 1/16 हिससा वादी का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या1 का 1/32 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्साा व रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 141/125 की कुल 7.4510हैक में से वादी का 4665/59608 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 4661/59608हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 2797/59608 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 2797/59608हिस्सा दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी की माता धापा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व नोदान हुए जिनमें से नोदान का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है नोदान की पत्नी ने अन्यत्र करेवा कर लिया इसिलये मृतक धापा के हक हिस्सा की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 239/231 की कुल 3.5410हैक में से मृतक धापा के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है मृतक धापा का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब एवं व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 8/5 में मृतक धापा 1/12 हिस्सा के नाम दर्ज है एवं 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है दोनो का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों प्रत्येक 1/9 हिस्सा के एवं रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 280/266 की कुल 5.4130हैक में से 1/16 हिस्सा भूमि मृतक धापा व 1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 1/12 हिस्सा के एवं रोही मौजा ललानिया के खात संख्या 141/125 की कुल 7.4510हैक मेसं 2797/59608 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 1.865हैक में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा लाखसर खाता संख्या 8/5 व 280/266 के अमनदीप स्थान पर गगनदीप संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. प्रेमदान पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. गगनदीप उर्फ अमनदीप पुत्र नोदान मान जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुमन पत्नी नोदान जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 853 सन 2020 निर्णय दिनांक– 19/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 239/231 की कुल 3.5410हैक में से मृतक धापा के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है मृतक धापा का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब एवं व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 8/5 में मृतक धापा 1/12 हिस्सा के नाम दर्ज है एवं 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है दोनो का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों प्रत्येक 1/9 हिस्सा के एवं रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 280/266 की कुल 5.4130हैक में से 1/16 हिस्सा भूमि मृतक धापा व 1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 1/12 हिस्सा के एवं रोही मौजा ललानिया के खाात संख्या 141/125 की कुल 7.4510हैक मेसं 2797/59608 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 1.865हैक में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा लाखसर खाता संख्या 8/5 व 280/266 में अमनदीप के स्थान पर गगनदीप संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर